राजस्व अपील संख्या 288/2023

अनवान

हीरालाल बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक 24.07.2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला जोधपुर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक प्र0 गां0 सं0/2023/520 दिनांक 08.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। श्री बुद्वाराम पुत्र रामूराम सुथार निवासी– विश्वकर्मा नगर लोहावट जाटावास, तहसील लोहावट की ओर से श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता के द्वारा केविएट पेश किया गया।

अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से उपस्थित अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील बाबत की गई बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.6.2023 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार, लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच कर मौका नक्शा व मौका फर्द तैयार करे। उपखण्ड अधिकारी, लोहावट उक्तानुसार प्राप्त मौका नक्शा, मौका रिपोर्ट व पक्षकारान की सुनवाई कर आवश्यक होने पर नवीन निर्णय पारित करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,

जोधपुर